

13.04.2023

वाद पुकारा गया। पुकार पर निगरानीकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ज्ञानेन्द्र सिंह खंतवाल उपस्थित आए।

राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री प्रकाश सिंह भण्डारी एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री कुलदीप बर्त्वाल उपस्थित आए।

निगरानीकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र कागज संख्या— 10ख पेश कर बहस हेतु तिथि की प्रार्थना की गयी, जिस पर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अनापत्ति दर्शित करने से स्थगन प्रार्थना पत्र कागज संख्या— 10ख न्यायहित में स्वीकार कर तिथि मुलतवी की जाती है। शामिल मिश्र हो।

पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 20.05.2023 को पेश हो।

(धनंजय चतुर्वेदी)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
चमोली।